

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 78/2017

प्रार्थीगण :-

1. धाराराम पुत्र श्री भंवराराम
2. दुदाराम पुत्र श्री भंवराराम
3. परमाई पत्नी श्री चन्दाराम
4. राजेन्द्र पुत्र श्री चन्दाराम
5. पप्पुराम पुत्र श्री चन्दाराम
6. गंगा पुत्री श्री चन्दाराम

जातियान जाट(खदाव) निवासीगण लुणियावास
तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. तहसीलदार, मेड़ता।
2. पटवारी हल्का, गगराना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-23.10.2017

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा चौहान नगर की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 90 बीघा 07 बिश्वा की जमीन की जमाबंदी संख्या 17 सम्वत् 2055 से 2058 मे प्रार्थी संख्या 3 से 6 के पिता व पति चन्द्रा पुत्र श्री भंवर जाट साकिन लुणियावास 8 बीघा 12 बिश्वा व दुदाराम पुत्र श्री भंवराराम जाट रकबा 20 बीघा 12 बिश्वा व प्रार्थी धाराराम पुत्र श्री भंवराराम जाट रकबा 4 बीघा 6 बिश्वा जमाबंदी में दर्ज है। जो प्रार्थीगण की खरीदसुदा भूमि है।

16/1

जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। मौजा चौहान नगर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 150 के नये सेटलमेंट में खसरा नम्बर 308 रकबा 0.73 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.01 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 6.33 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.23 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.09 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 1.85 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 1.09 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 1.70 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.60 हैक्टैयर कुल रकबा 14.63 हैक्टैयर कायम किये। वर्तमान जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 162/13 पेश किया। जिसका निर्णय दिनांक 11.04.2014 को हो गया। जिसमें सभी खातेदार पक्षकार थे। मगर उक्त निर्णय की पालना हेतु तहसीर जब पटवारी हल्का को भिजवायी गई तो हल्का पटवारी द्वारा यह आपत्ति की गई कि खसरा नम्बर 150 रकबा 90 बीघा 7 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 308 से 316 में प्रार्थीगण का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं था अर्थात् नये सेटलमेंट में प्रार्थीगण का नाम सहवन से छुट गया। इस नये सेटलमेंट की जमाबंदी में डिग्री पालना में समस्या सामने आयी। जिससे प्रार्थीगण को नये सेटलमेंट की जमाबंदी में हुई लिपिकीय भूल त्रुटि को दुरुस्त करवाना आवश्यक हुआ। जिससे प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र रेकॉर्ड डुरुस्ती हेतु पेश कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा चौहान के खसरा नम्बर 150 रकबा 90 बीघा 7 बिश्वा की जमाबंदी संख्या 17 में नामान्तरकरण संख्या 14 के तहत दर्ज प्रार्थीगण का इन्द्रज यानि प्रार्थी संख्या 3 से 6 के नाम रकबा 8 बीघा 12 बिश्वा जो हैक्टैयर पद्धति अनुसार 1.39 हैक्टैयर व प्रार्थी दुदराम पुत्र भंवराराम के नाम 20 बीघा 12 हैक्टैयर जो हैक्टैयर पद्धति अनुसार रकबा 3.34 हैक्टैयर तथा प्रार्थी धाराराम पुत्र भंवराराम के नाम रकबा 4 बीघा 6 बिश्वा जो हैक्टैयर पद्धति अनुसार रकबा 0.60 हैक्टैयर का इन्द्रज वर्तमान जमाबंदी सम्बन्ध

2069 से 2072 जमाबंदी संख्या 16 में खसरा नम्बर 308 से लगायत 316 में पूर्व की भांति प्रार्थीगण का खातेदारी में इन्द्राज दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरुस्त किया जावे। प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा चौहान नगर की जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058, खाता संख्या 17, जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072, खाता संख्या 16 उपखण्ड न्यायालय का प्रकरण वाद संख्या 152/13 धाराराम बनाम छोटुसिंह निर्णय दिनांक 11.04.2014 की फोटो प्रति तथा पटवारी हल्का गगराना की रिपोर्ट, तहसीलदार मेड़ता का पत्रांक 1823 दिनांक 03.01.2017 डिक्री पर्चा की प्रतियां पेश की।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। पटवारी हल्का गगराना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मौजा चौहान नगर की सरहद की जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 में खसरा नम्बर 150 रकबा 90 बीघा 7 बिश्वा में से चन्द्राराम पुत्र श्री भंवरा जाट साकिन लुणियावास के 8 बीघा 12 बिश्वा, दुदाराम पुत्र श्री भंवराराम जाट के रकबा 20 बीघा 12 बिश्वा व प्रार्थी धाराराम पुत्र श्री भंवराराम जाट के रकबा 4 बीघा 6 बिश्वा की खातेदारी आयी हुई थी। जिसकी जमाबंदी नकल साथ में संलग्न है। चौहान नगर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 150 के नये सेटलमेंट में खसरा नम्बर 308 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 6.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 1.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल रकबा 14.63 हैक्टेयर कायम किये। जिसकी वर्तमान जमाबंदी संलग्न है। चन्द्रा पुत्र श्री भंवराराम जाट ने रकबा 8 बीघा 12 बिश्वा जमीन जो हैक्टेयर पद्धति अनुसार रकबा 1.39 हैक्टेयर व दुदाराम ने 20 बीघा 12 बिश्वा का रकबा 3.34 हैक्टेयर व

धाराराम के 4 बीघा 6 बिश्वा का रकबा 0.70 हैक्टेयर का वर्तमान जमाना में
 में नये खसरा नम्बरों में पूर्ण की भांति इन्द्राज किया जाना उचित है।

नया खसरा नम्बर	रकबा	पुराना खसरा नम्बर	रकबा
308	0.73	150 मीन	0.73
309	0.01	150 मीन	0.01
310	6.33	150 मीन	6.33
311	1.23	150 मीन	1.23
312	1.09	150 मीन	1.09
313	0.85	150 मीन	0.85
314	1.09	150 मीन	1.09
315	1.70	150 मीन	1.70
316	1.60	150 मीन	1.60

तहसीलदार मेड़ता अपने पत्रांक/भूअ./डिक्री/2017/428 दिनांक
 07.07.2017 द्वारा पटवारी हल्का गगराना के उक्त मूल रिपोर्ट पर अभिरांघा
 के साथ भिजवायी है।

विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क
 यह था कि मौजा चौहान नगर की सरहद की जमाबंदी सम्वत् 2055 से
 2058 में खसरा नम्बर 150 रकबा 90 बीघा 7 बिश्वा में से चन्द्राराम पुत्र
 श्री भंवरा जाट साकिन लुणियावास के 8 बीघा 12 बिश्वा, दुदाराम पुत्र श्री
 भंवराराम जाट के रकबा 20 बीघा 12 बिश्वा व प्रार्थी धाराराम पुत्र श्री
 भंवराराम जाट के रकबा 4 बीघा 6 बिश्वा की खातेदारी आयी हुई थी।
 चौहान नगर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 150 के नये सेटलमेंट में
 खसरा नम्बर 308 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.01
 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 6.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा
 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313
 रकबा 1.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर


 उपखण्ड अधिकारी
 मेड़ता (राज.)

315 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल रकबा 14.63 हैक्टेयर कायम किये। चन्द्रा पुत्र श्री भंवराराम जाट ने रकबा 8 बीघा 12 बिश्वा जमीन जो हैक्टेयर पद्धति अनुसार रकबा 1.39 हैक्टेयर व दुदराराम ने 20 बीघा 12 बिश्वा का रकबा 3.34 हैक्टेयर व धाराराम के 4 बीघा 6 बिश्वा का रकबा 0.70 हैक्टेयर का वर्तमान जमाबंदी में नये खसरा नम्बरों में पूर्व की भांति इन्द्राज किया जाना उचित है।

नया खसरा नम्बर	रकबा	पुराना खसरा नम्बर	रकबा
308	0.73	150 मीन	0.73
309	0.01	150 मीन	0.01
310	6.33	150 मीन	6.33
311	1.23	150 मीन	1.23
312	1.09	150 मीन	1.09
313	0.85	150 मीन	0.85
314	1.09	150 मीन	1.09
315	1.70	150 मीन	1.70
316	1.60	150 मीन	1.60

जिसकी पुष्टि तहसीलदार मेड़ता ने भी की है। अतः तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट अनुसार नये खसरा नम्बरों में पूर्व की भांति इन्द्राज किया जाने के आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के अनुसार मौजा चौहान नगर की सरहद की जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 में खसरा नम्बर 150 रकबा 90 बीघा 7 बिश्वा में से चन्द्राराम पुत्र श्री भंवर जाट साकिन लुणियावास के 8 बीघा 12 बिश्वा, दुदराराम पुत्र श्री भंवराराम जाट के रकबा 20 बीघा 12 बिश्वा व प्रार्थी धाराराम पुत्र श्री भंवराराम जाट के रकबा 4 बीघा 6 बिश्वा की खातेदारी आयी हुई थी। चौहान नगर की


उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

संरक्षित में स्थित खसरा नम्बर 150 के नये सेटलमेंट में खसरा नम्बर 308 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 6.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 1.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल रकबा 14.63 हैक्टेयर कायम किये। चन्द्रा पुत्र श्री भंवराराम जाट ने रकबा 8 बीघा 12 बिश्वा जमीन जो हैक्टेयर पद्धति अनुसार रकबा 1.39 हैक्टेयर व दुदाराम ने 20 बीघा 12 बिश्वा का रकबा 3.34 हैक्टेयर व धाराराम के 4 बीघा 6 बिश्वा का रकबा 0.70 हैक्टेयर का वर्तमान जमाबंदी में नये खसरा नम्बरों में पूर्व की भांति इन्द्राज किया जाना उचित है।

नया खसरा नम्बर	रकबा	पुराना खसरा नम्बर	रकबा
308	0.73	150 मीन	0.73
309	0.01	150 मीन	0.01
310	6.33	150 मीन	6.33
311	1.23	150 मीन	1.23
312	1.09	150 मीन	1.09
313	0.85	150 मीन	0.85
314	1.09	150 मीन	1.09
315	1.70	150 मीन	1.70
316	1.60	150 मीन	1.60

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है।


आदेश

तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./डिक्री/2017
/426/दिनांक 07.07.2017 के द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसार



उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

श्रीजा चौहान नगर की सरहद की जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 में खसरा नम्बर 150 रकबा 90 बीघा 7 बिश्वा में से चन्द्राराम पुत्र श्री भंवराम जाट साकिन लुणियावास के 8 बीघा 12 बिश्वा, दुदाराम पुत्र श्री भंवराराम जाट के रकबा 20 बीघा 12 बिश्वा व प्रार्थी धाराराम पुत्र श्री भंवराराम जाट के रकबा 4 बीघा 6 बिश्वा की खातेदारी आयी हुई थी। चौहान नगर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 150 के नये सेटलमेंट में खसरा नम्बर 308 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 6.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 1.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल रकबा 14.63 हैक्टेयर कायम किये। चन्द्रा पुत्र श्री भंवराराम जाट ने रकबा 8 बीघा 12 बिश्वा जमीन जो हैक्टेयर पद्धति अनुसार रकबा 1.39 हैक्टेयर व दुदाराम ने 20 बीघा 12 बिश्वा का रकबा 3.34 हैक्टेयर व धाराराम के 4 बीघा 6 बिश्वा का रकबा 0.70 हैक्टेयर का वर्तमान जमाबंदी में नये खसरा नम्बरों में पूर्व की भांति इन्द्राज किया जाना उचित है।

नया खसरा नम्बर	रकबा	पुराना खसरा नम्बर	रकबा
308	0.73	150 मीन	0.73
309	0.01	150 मीन	0.01
310	6.33	150 मीन	6.33
311	1.23	150 मीन	1.23
312	1.09	150 मीन	1.09
313	0.85	150 मीन	0.85
314	1.09	150 मीन	1.09
315	1.70	150 मीन	1.70
316	1.60	150 मीन	1.60


 जयखण्ड अधिकारी
 मेड़ता (राज.)

अतः उपरोक्तानुसार नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने पर आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अन्यथा कोई आदेश नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राजस्थान)
मेड़ता